Mail

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

कमांक : स्था./88/2025/39619 दिनांक : 06 DEC 2025

06 DEC 2025

:: आ दे श ::

I

इस कार्यालय के पूर्वादेश कमांक स्था./66/2025/39267 दिनांक 04.12.2025 के कम–I में आंशिक संशोधन किया जाकर कम संख्या–2 पर अंकित श्री मनीष कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ की कार्यालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, राजगढ में कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति निरस्त करने सम्बन्धी आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस आदेश के फलस्वरूप श्री मनीष कुमार शर्मा पूर्ववत कार्यालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, राजगढ में कार्य करते रहेंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

II

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री मनखुश मीना	लिपिक ग्रेड द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ	लिपिक ग्रेड द्वितीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	श्री हेमन्त कुमार मीना के स्थान पर
2	श्री हेमन्त कुमार मीना	लिपिक ग्रेड द्वितीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	लिपिक ग्रेड द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ	श्री मनखुश मीना के स्थान पर

नोट :– श्री हेमन्त कुमार मीना, लिपिक ग्रेड द्वितीय राजगढ मुख्यालय पर सहायक नाजिर का कार्य करेंगे।

III

निम्नांकित कर्मचारी को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रामकिशन सैनी, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, राजगढ	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (रीडर का कार्य करेंगे)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज0)

इस कार्यालय के पूर्वादेश कमांक स्था./70/2025/34394 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा श्री सुनील कुमार कालरा, रीडर ग्रेड प्रथम कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 4, अलवर का थानागाजी में कैम्प कोर्ट नहीं होने की अवधि में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी में रीडर का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर श्री कालरा को कार्यालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी में रीडर का कार्य करने हेतु निर्देशित करने सम्बन्धी आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

नोट–

1– कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।

2– कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sd/-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था./2025/39620–637 दिनांक : 06 DEC 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ/थानागाजी
2. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 राजगढ/थानागाजी
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ
4. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
5. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

6-12-25
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र